सचिका सं0–7 / बजट–46–11 / 2024(II) – 3L0 (7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– **सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

पटना, दिनाक– 26 / 12 / 2024

विषयः– **राज्य योजनान्तर्गत सरकारी दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वीकृत कुल प्राक्कलित राशि रू० 4,04,14,00,000 / –(रुपये चार अरब चार करोड़ चौदह लाख) मात्र की योजना में उपकरणों की आपूर्ति हेतु निगम के माँग के अनुरूप राशि (4,04,14,00,000+25,22,62,000) = 4,29,36,62,000 / –(रुपये चार अरब उनतीस करोड़ छत्तीस लाख बासठ हजार) मात्र के प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध पुनः अन्य कार्य में अपेक्षित वृद्धि हेतु रू० 5,97,78,13,000 / –(रूपये पाँच अरब सन्तानवे करोड़ अठहत्तर लाख तेरह हजार) मात्र की लागत पर स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-XII" के तहत इस परियोजना हेतु कुल रु0 5,25,00,000 / –(रुपये पाँच करोड़ पच्चीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत सरकारी दत चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा के भवन निर्माण हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्राक-F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)- Bihar, दिनाक–22 11.2024, एव F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Part-XII-SACE-24, दिनाक–22.11.2024 तथा वित्त विभाग के पत्राक–701 / वि0 दिनांक–22.11 2024 के द्वारा निर्माण का कार्य करने हेतु पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 मे भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-XII" के तहत स्वास्थ्य विभाग को इस परियोजना हेतु कुल रु0 5.25 करोड़ मात्र राशि प्राप्त हुई है।

2– वित्तीय वर्ष 2018–19 अंतर्गत सरकारी दत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में स्वीकृत कुल प्राक्कलित राशि रू० 4 04,14,00,000 / –(रुपये चार अरब चार करोड चौदह लाख) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–53(1), दिनांक–29.01.2014 के द्वारा प्रदान की गयी थी। निगम (BMSICL) के पत्रांक–8062, दिनांक–22.12.2023 के द्वारा चिकित्सकीय उपकरणों के अधिष्ठापन हेतु रू० 25,22,62,000 / –मात्र के मांग के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–458(7), दिनांक–30.01.2024 द्वारा योजना को पुनरीक्षित करते हुए (4,04,14,00,000+25,22,62,000) 4,29,36,62,000 / –(रुपये चार अरब उनतीस करोड छत्तीस लाख बासठ हजार) मात्र के प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

पुनः योजना के Scope of Work में परिवर्त्तन के कारण पुनः बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से कुल रू० 5,97,78,13,000 / – (रूपये पॉच अरब सन्तानवे करोड अठहत्तर लाख तेरह हजार) मात्र का पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पत्राक–2407, दिनाक–21 06.2024 एव पत्रांक–4300, दिनाक–16 08.2024 द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसके व्यय की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या–226(7),दिनाक–21.10.2024 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

3– अबतक उक्त योजना मे विभिन्न व्ययादेशों के माध्यम से निगम को राशि उपलब्ध कराया जा चुका है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है.–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	आवंटनादेश / व्ययादेश स0 एव दिनाक
1	2015–16	5,00,00,000 / –	सं0–31(1)ब0, दिनांक–10 06.2015
2	2018–19	25,00,00,000 / –	सं0–91(1)ब0, दिनाक–08.01 2019
3	2019–20	37,09,41,000 / –	स0–82(1), दिनांक–20 01.2020
4	2020–21	16,50,00,000 / –	स0–38(1), दिनाक–15.01 2021
5	2021–22	16,50,00,000 / –	सं0–410(1), दिनाक–16 06 2021
6	2021–22	16,00,00,000 / –	स0–315(7), दिनाक–09 02 2022
7	2022–23	13,20,00,000 / –	स0–52(7), दिनाक–06.06 2022
8	2022–23	26,80,00,000 / –	स0–111(7), दिनाक–12 07 2022
9	2022–23	1,55,00,00,000 / –	सं0–289(7), दिनाक–24.11 2022
10	2022–23	60,00,00,000 / –	स0–592(7), दिनांक–21 03.2023
11	2023–24	10,00,00,000 / –	स0–458(7),दिनाक–30 01 2024 (चिकित्सकीय उपकरण हेतु)
12	2023–24	15,00,00,000 / –	स0–596(7), दिनाक–07 03.2024
कुल योग–		**3,96,09,41,000 / –**	

4– उक्त परिप्रेक्ष्य मे राज्य योजनान्तर्गत सरकारी दत चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 मे स्वीकृत कुल प्राक्कलित राशि रू० 4,04,14,00,000 / –(रुपये चार अरब चार करोड चौदह लाख) मात्र की योजना मे उपकरणो की आपूर्त्ति हेतु निगम के मॉग के अनुरूप राशि (4,04,14,00,000+25,22,62,000)= 4,29,36,62,000 / –(रुपये चार अरब उनतीस करोड छत्तीस लाख बासठ हजार) मात्र के प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध पुनः अन्य कार्य मे अपेक्षित वृद्धि हेतु रू० 5,97,78,13,000 / –(रूपये पॉच अरब सन्तानवे करोड अठहत्तर लाख तेरह हजार) मात्र की लागत पर स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-XII" के तहत इरा परियोजना हेतु कुल रु0 5,25,00,000 / –(रुपये पॉच करोड पच्चीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाऐं एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश स0–53(1), दिनांक–29.01.2014 में निहित्त शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

6– इस राशि के व्यय का वहन माग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0111–डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल, विपत्र कोड–20–4210031050111 अन्तर्गत योजना आय–व्ययक में 0111–53 01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई अतर्गत **द्वितीय अनूपूरक आगणन** से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा ।

7– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा नियत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार, पटना होगे।

8– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561 / वि0(2), दिनांक–17 04.98, 2880 / वि0(2), दिनांक–06.05.06, 2938 / वि0(2), दिनाक–08.04.08, 3758 / वि0, दिनांक–31.05 2017 एवं 12888 / वि०, दिनाक–03.12.2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

9— वित्त विभागीय पत्र संख्या—632वि०, दिनाक—04.07.2023 के क्रम मे निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या—10792/वि०, दिनांक—06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25" के लिए पूंजीगत परियोजनाओं से सबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबंधित बैंक खाते मे हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट स0—PBBPLA007 विपत्र कोड—00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID---------- मे जमा करेगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबधित बैक खाते मे हस्तान्तरित कर दिशा—निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेगे।

10— वित्त विभागीय पत्राक—432/वि०, दिनाक—29.03.2023 एव पत्रांक—701/वि०, दिनाक—22.11.2024 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण—पत्र GFR 12B मे विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र मे तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

11— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

12— अग्रिम राशि के निकासी के प्रस्ताव एव प्रारूप पर माननीय मत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

13— प्रारूप मे सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या— 7/बजट—46—11/2024(II) के पृष्ठ -19/टि0 पर प्राप्त है।

14— यह मात्र व्ययादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(शंभू शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः— 319(7) /स्वा0, पटना, दिनांक— 26/12/2024

प्रतिलिपि— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिलाधिकारी, नालन्दा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य, सरकारी दत चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, पैठना, रहुई, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—7, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियों मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एव उक्त सबधित को ई—मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव